भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(17)

न्यायालयः— मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2014 पुनर्विलोकन रिव्यू 4323-I/14

श्रीमती रामफूल पुत्री छोटेलाल ब्राहम्ण निवासी ग्राम पतारा तह. अमानगंज जिला पन्ना म.प्र.

—— आवेदक

विरूद्ध

श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामसेवक छिरोल्या निवासी अमानगंज तह. अमानगंज जिला पन्ना म.प्र.

—— अनावेदक

श्री एस. डी. धाकड़ (एडवोकेट) द्वारा आज दि. 29.12.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-12-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51(1) म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रक0 3510—1/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10—12—2014 के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत।

(S.D. Dhakad, 29.12.14)

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

पुनर्विलोकन के संक्षेप में तथ्य :—

यह कि प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 109/110 के अधीन नायब तहसीलदार अमानगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर विधिवत अद्योषणा जारी की गई आपत्तियॉ बुलाई गई समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई नायब तहसीलदार द्वारा रजि. दान पत्र दानकर्ता धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामसेवक छिरोल्या निवासी अमानगंज द्वारा दान ग्रहिता आवेदिका श्रीमती रामफूल पुत्री छोटेलाल ब्राहम्ण द्वारा दान पत्र के आधार पर उक्त आवेदन पत्र पर पटवारी प्रतिवेदन पंजीवद्ध दान पत्र क्रंमाक 308 दिनांक 23.05.2000 अनुसार आवेदिका के हित में नामांतरण भूमि सर्वे क. 1132/2 रकवा 0.24 है. का नामांतरण दिनांक 22.06.2000 से कर दिया गया। परंतु उक्त आदेश में क्षेत्रफल में त्रुटि हो जाने के कारण आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2014 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर प्र.क्र. 29/अ—6/13—14 पर दर्ज किया जाकर प्रकरण में अनावेदक आहूत किया गया। तथा अना. अनुस्थित नहीं होने के कारण पेशी दिनांक 25.03.2014 नियत की गई। सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण पेशी दिनांक 05.04.2014 नियत की गई। इस प्रकार दिनांक 11.04.2014 एवं दिनांक 21.04.2014 अना. उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जबाव की प्रति आवेदक को दी गई। पटवारी से प्रतिवेदन अप्राप्त पुनः पटवारी प्रतिवेद हेतु पेशी दिनांक नियत की गई। जिसमें पेशी दिनांक 30.04.2014 नियत की गई। जिसमें आवेदक द्वारा मय रजि. वयनामा सहित लिखित जबाव प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात् पेशी दिनांक 07.05.2014 16.05.2014 27.05.2014 09.06.2014 23.062014 26.06.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4323–एक / 14 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.1.2015	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0पी0धाकड़ उपस्थित। उन्हें रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3510–एक / 14 में पारित आदेश दिनांक 10–12–14 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	